संख्या–1372 / 9–आ–1–29–विविध / 98 (आ.ब.)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **प्रबन्ध निदेशक,**
   सहकारी आवास संघ,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक–19 मार्च, 2001

विषय : शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए अवरोधमुक्त परिसर के मानकों के अनुसार आवास उपलब्ध / निर्मित कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4746 / 9–आ–1–29–विविध / 98, दिनांक–21 अक्टूबर, 2000 द्वारा जारी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों यथा चलने–फिरने, बोलने–सुनने व देखने में कमी से ग्रस्त अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा, सुविधा और सुगम्यता जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण हेतु मानक दिए गये हैं, जो सार्वजनिक उपयोग वाले सभी भवनों तथा जन–सुविधाओं पर लागू होंगे। परन्तु अशक्त व्यक्तियों के लिए उक्त मानकों के अनुसार आवास बनाने हेतु नीतिगत व्यवस्था नहीं की गई है। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अशक्त व्यक्तियों के लिए बाधारहित सार्वजनिक उपयोग के भवनों एवं सुविधाओं के साथ–साथ आवास भी उपलब्ध कराए जायें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद तथा उ.प्र. सहकारी आवास संघ की आवासीय योजनाओं में अशक्त व्यक्त्यिों के प्रयोजनार्थ आवासीय भवन उपलब्ध कराने हेतु शहरी कार्य एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार की गाईडलाइन्स के अनुसार निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंः–

(i) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु एकल आवासीय योजनाओं में कुल इकाइयों की कम से कम 2 प्रतिशत इकाइयां अवरोधमुक्त सुविधा वाली हों, जो भू–तल पर बनाई जाएंगी।

(ii) कर्मचारी / स्टाफ आवास तथा ग्रुप हाउसिंग में प्रत्येक 25 मकानों पर कम से कम एक इकाई तथा उसके ऊपर प्रत्येक 100 मकानों के बाद एक अतिरिक्त इकाई अवरोधमुक्त सुविधा वाली उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु आवासों का निर्माण ऐसे स्थलों पर किया जाएगा जो मुख्य मार्ग के निकट हो एवं जहां से 30 मीटर से अधिक दूर तक पैदल चलने की आवश्यकता न पड़े।

(iv) आवासीय कालोनियों में सुगम्य बाजार क्षेत्र, पूजा स्थल, अन्य सुविधाओं के स्थल तथा प्रवेश / निकास सहज आवागमन वाले होंगे।

3. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाए।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–1372(1)/9–आ–1–29–विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उ.प्र. शासन के अवलोकनार्थ।
2. सचिव, विकलांग कल्याण अनुभाग–1 उ.प्र. शासन।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष/नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियामित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियामित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव